**No. ID/YMN/195/82/4462.**—Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an industrial dispute exists between the workman Shri Joginder and the management of M/s Anil Udyog Chhachhrauli (Jagadhri) regarding the matter hereinafter appearing;

And whereas the Governor of Haryana considers it desirable to refer the dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to the Labour Court, Faridabad, constituted,—*vide* Government notification No. 11495-G-Lab/57/11245, dated 7th February, 1958 read with notification No. 5314-3Lab-68/15254, dated 20th June, 1968 under section 7 of the said Act, the matter specified below being either matter in dispute or matter relevant to or connected with the dispute as between the said management and the workman for adjudication :—

Whether the termination of service of Shri Joginder was justified and in order? If not, to what relief is he entitled ?

V. S. CHAUDHRI,
Deputy Secretary to Government, Haryana,
Labour Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 4 जनवरी, 1983

क्रमांक **1873-ज(II)-82/232.**—श्री गुमन सिंह, पुत्र श्री सालग राम, गांव टींट, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 12 नवम्बर, 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गुमन सिंह को मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1322-ज(I)-78/25167, दिनांक 12 सितम्बर, 1978 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चन्दगी देवी के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक **1872-ज(II)-82/236.**—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री ब्रह्म दत्त, पुत्र श्री विशम्भर दियाल, गुराबड़ा, तहसील रिवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर उनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है।

क्रमांक **1869-ज(II)-82/399.**—श्री धूप सिंह, पुत्र श्री जैलू, गांव भालोट, तहसील व जिला रोहतक, की दिनांक 19 मई, 1980, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री धूप सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 421-ज-(II)-74/20904, दिनांक 26 जून, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमती भगवानी देवी के नाम खरीफ, 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है।

क्रमांक **1783-ज-I)-82/403.**—श्री जवाहर सिंह, पुत्र श्री सोहन सिंह, गांव पावनी खुर्द, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला, की दिनांक 27 सितम्बर, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जवाहर सिंह को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 464-ज-I-81/24438, दिनांक 15 जुलाई, 1981, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती हरबन्स कौर के नाम रबी, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गयी शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है।